भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2553

जिसका उत्तर सोमवार, 17 मार्च, 2025/26 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया गया

प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत खोले गए बैंक खाते

2553. डॉ. मोहम्मद जावेद:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) के अंतर्गत इसकी शुरुआत से लेकर अब तक राज्यवार और वर्षवार कितने बैंक खाते खोले गए हैं;

(ख) पीएमजेडीवाई के अंतर्गत फ्रीज किए गए या आंशिक रूप से फ्रीज किए गए ऐसे बैंक खातों की राज्यवार और वर्षवार संख्या कितनी है और साथ ही बैंक खातों को फ्रीज करने के मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने पीएमजेडीवाई खाताधारकों पर लगाए गए प्रच्छन्न शुल्कों, जैसे एटीएम लेनदेन विफल होने या न्यूनतम शेष राशि संबंधी दंड के प्रभाव का आकलन किया है और यदि हां, तो ऐसे आकलन के निष्कर्ष क्या हैं;

(घ) निष्क्रिय पीएमजेडीवाई खातों, जो कथित तौर पर कुल खातों का 20 प्रतिशत है, के मामलों को हल करने और लाभार्थियों के लिए उनके पुन: सक्रियण और उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(ड.) क्या सरकार को जानकारी है कि केवाईसी प्रक्रिया और विशेषकर आधार-आधारित पुन: केवाईसी, कई खाताधारकों के लिए डेटा अंसगतियों और तकनीकी चुनौतियों के कारण वित्तीय अपवर्जन का कारण बन रही है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): देश में प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) के अंतर्गत इसकी शुरूआत से अब तक खोले गए कुल खातों की संख्या का राज्य-वार और वर्ष-वार विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(ख): पीएमजेडीवाई खातों सहित बैंक खातों पर रोक लगाना और इस पर से रोक हटाना एक सतत प्रक्रिया है। खातों पर विभिन्न कारणों, जैसे कि रिपोर्ट की गई या संदिग्ध धोखाधड़ी, खाताधारक की मृत्यु, आयकर और अन्य प्राधिकारियों से प्राप्त नोटिस, न्यायालय के आदेशों आदि के कारण रोक लगाई जाती है। रोक लगाए गए खातों से संबंधित डेटा को केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

(ग): प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) खाता एक प्रकार का बुनियादी बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए) है, जिसमें न्यूनतम शेष राशि की कोई आवश्यकता नहीं होती है। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के दिनांक 10.06.2021 के परिपत्र के अनुसार, बीएसबीडी खाताधारक अपने बैंक के एटीएम से प्रति माह पांच नि:शुल्क लेनदेन (वित्तीय और गैर-वित्तीय लेनदेन सहित) के पात्र हैं। वे अन्य बैंक के एटीएम से भी नि:शुल्क लेनदेन (वित्तीय और गैर-वित्तीय लेनदेन सहित) जैसे मेट्रो केंद्रों में तीन लेनदेन और गैर-मेट्रो केंद्रों में पांच लेनदेन के पात्र हैं। बैंक किसी भी भौगोलिक स्थान पर अन्य बैंक के एटीएम के साथ-साथ अपने एटीएम पर प्रति माह अधिक संख्या में नि:शुल्क लेनदेन की सुविधा प्रदान करने के लिए स्वतंत्र हैं।

इसके अतिरिक्त, आरबीआई के दिनांक 10.06.2019 के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक उचित और पारदर्शी आधार पर अतिरिक्त मूल्यवर्धित सेवाओं के लिए मूल्य निर्धारण अवसंरचना सहित आवश्यकताओं का सृजन करने के लिए स्वतंत्र हैं, जिन्हें ग्राहकों के विकल्प पर गैर-भेदभावपूर्ण तरीके से लागू किया जाना है।

(घ) और (ड.): निष्क्रिय पीएमजेडीवाई खातों का प्रतिशत 21.28% (दिनांक 26.02.2025 की स्थिति के अनुसार) है। आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि खाते में दो साल से अधिक समय से ग्राहक प्रेरित लेनदेन नहीं किया गया है, तो बचत के साथ-साथ चालू खाते को अप्रवर्तनशील/निष्क्रिय माना जाना चाहिए। बैंक खाते को सक्रिय रखने के लाभों सहित बैंकिंग आदतों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए शिविरों का आयोजन करके सक्रिय खातों की प्रतिशतता की निगरानी के लिए निरंतर ठोस प्रयास करते हैं। सरकार द्वारा इसकी नियमित रूप से निगरानी की जा रही है।

आरबीआई ने, अन्य बातों के साथ-साथ, बैंकों को निम्नलिखित सलाह दी है:-

- उन खातों/जमाराशियों की वार्षिक समीक्षा करना जहां एक वर्ष से अधिक समय से ग्राहक द्वारा कोई लेन-देन नहीं किया गया है; तथा
- इन खातों/जमाराशियों के ग्राहकों का पता लगाने के लिए कदम उठाना।

इसके अतिरिक्त, बैंकों को यह सलाह दी गई है कि वे अप्रवर्तनशील खातों की संख्या को कम करने तथा ऐसे खातों को सक्रिय और निर्बाध बनाने की प्रक्रिया को सरल और बाधामुक्त बनाएं, जिसमें मोबाइल/इंटरनेट बैंकिंग, नॉन-होम शाखाओं, वीडियो के माध्यम से ग्राहकों की पहचान प्रक्रिया आदि के माध्यम से केवाईसी को निर्बाध अद्यतन करना शामिल है।

आरबीआई के निर्देशों के अनुसार, पीएमजेडीवाई खातों सहित कम जोखिम वाले ग्राहकों के लिए हर 10 साल में एक बार केवाईसी को आवधिक अद्यतन किया जाना है। इसके अतिरिक्त, पुन: केवाईसी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सरकार द्वारा कई उपाय किए गए हैं:-

- बैंक, जिसमें ग्राहक अपना खाता रखता है, केवाईसी किसी भी शाखा में किया जाना चाहिए।
- जहां केवाईसी जानकारी में कोई परिवर्तन न हो, उन मामलों में बैंकों को स्व-घोषणा प्राप्त करने की अनुमति है।
- वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया (V-CIP)।

पुन: केवाईसी प्रयोजन के लिए नॉन-फेस-टू-फेस मोड में आधार ओटीपी आधारित ई-केवाईसी प्रमाणीकरण की भी अनुमति दी गई है।

*****

अनुलग्नक

"पीएमजेडीवाई के अंतर्गत खोले गए बैंक खाते" के संबंध में दिनांक 11.02.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2553 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

राज्य-वार और वर्ष-वार पीएमजेडीवाई खातों की कुल संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मार्च'15	मार्च'16	मार्च'17	मार्च'18	मार्च'19	मार्च'20	मार्च'21	मार्च'22	मार्च'23	मार्च'24	दिनांक 26.02.2025 की स्थिति के अनुसार
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.48	0.53	0.54	0.54	0.50	0.49	0.47	0.46	0.48	0.61	0.62
2	आंध्र प्रदेश	59.73	73.37	87.19	90.39	97.38	104.52	116.71	117.10	130.84	147.67	157.10
3	अरुणाचल प्रदेश	0.93	1.29	2.06	2.52	2.83	3.38	3.55	3.77	4.08	4.52	4.62
4	असम	43.98	72.46	116.35	127.51	148.88	163.56	186.16	203.40	221.55	236.17	247.85
5	बिहार	104.53	197.03	286.34	339.10	397.19	439.04	483.92	510.15	546.72	583.84	627.65
6	चंडीगढ़	1.80	2.18	2.21	2.48	2.44	2.54	2.65	2.82	3.06	3.27	3.36
7	छत्तीसगढ़	67.10	97.42	123.35	130.56	140.53	147.64	153.37	159.63	167.07	175.10	182.33
8	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	0.58	0.81	1.07	1.35	1.64	1.85	2.06	2.12	2.23	2.31	2.40
9	दिल्ली	24.60	30.23	36.32	40.52	43.29	45.88	48.16	53.34	57.98	62.98	66.92
10	गोवा	1.07	1.32	1.41	1.48	1.59	1.68	1.70	1.70	1.92	2.06	2.16
11	गुजरात	57.19	77.87	105.32	119.47	137.31	153.21	160.59	168.31	176.71	184.04	191.97
12	हरियाणा	41.65	51.74	59.53	65.02	70.68	74.94	79.05	84.99	91.39	99.25	105.31
13	हिमाचल प्रदेश	6.83	8.78	9.30	9.93	11.68	13.07	15.06	16.03	17.27	18.76	19.84
14	जम्मू और कश्मीर	14.40	17.08	21.55	19.51	21.03	21.45	24.67	25.70	26.38	27.36	23.06
15	झारखंड	32.76	61.82	97.62	112.04	123.51	133.97	154.71	162.22	174.08	183.63	195.43
16	कर्नाटक	73.11	91.80	106.17	117.73	139.22	148.76	152.44	160.19	177.72	192.13	203.27
17	केरल	18.91	27.29	32.34	35.80	38.34	43.09	47.35	49.05	55.31	62.04	67.92
18	लद्दाख	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.21	0.21	0.21	0.22	0.18
19	लक्षद्वीप	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.08	0.10	0.10	0.10
20	मध्य प्रदेश	118.52	186.18	250.57	273.18	306.19	326.23	353.97	372.34	404.20	429.88	449.86
21	महाराष्ट्र	99.68	138.24	189.71	221.53	247.76	270.23	299.69	313.91	324.05	340.81	363.92
22	मणिपुर	4.44	5.93	7.15	7.94	8.98	9.65	10.22	10.21	10.62	10.89	11.17
23	मेघालय	1.65	2.55	3.94	4.17	4.72	4.78	5.93	6.19	6.70	7.75	8.34
24	मिजोरम	0.80	1.62	2.80	2.68	2.99	3.11	3.21	3.15	3.29	3.82	4.09
25	नगालैंड	1.33	1.59	2.03	2.18	2.63	3.08	3.28	3.45	3.67	3.92	4.07
26	ओडिशा	52.08	82.22	112.28	124.30	140.63	157.36	173.17	185.41	199.85	213.18	227.96
27	पुदुचेरी	0.92	1.15	1.25	1.45	1.50	1.59	1.65	1.64	1.89	2.15	2.46
28	पंजाब	38.88	47.99	53.40	60.90	66.68	69.50	73.33	77.34	84.52	90.78	94.91
29	राजस्थान	101.03	168.00	193.69	243.24	249.46	269.01	292.81	313.77	333.21	351.75	367.57
30	सिक्किम	0.62	0.75	0.86	0.90	0.93	0.93	0.87	0.86	0.88	0.90	0.95
31	तमिलनाडु	61.82	79.87	86.88	89.82	100.25	107.13	111.53	115.95	137.73	154.04	169.96
32	तेलंगाना	65.33	79.15	87.55	89.90	95.43	96.53	103.79	104.35	111.05	117.87	124.60
33	त्रिपुरा	4.51	7.01	7.84	8.29	8.72	8.89	9.11	8.55	9.56	10.29	11.11
34	उत्तर प्रदेश	228.72	321.01	437.35	475.62	548.44	613.31	713.35	792.69	866.99	925.20	978.11
35	उत्तराखंड	14.15	18.20	21.90	22.01	24.33	25.69	27.29	29.06	32.50	35.87	38.32
36	पश्चिम बंगाल	109.52	188.22	268.84	300.26	338.90	366.46	403.97	445.99	479.56	509.50	537.09
देश		1453.68	2142.75	2816.78	3144.39	3526.62	3832.80	4220.06	4506.15	4865.36	5194.67	5496.58

स्रोत: बैंक